Volume 9

January - March, 2012

Rajasthan Police Academy
News Letter

इस अंक में ...

– अमेरिकी विश्व विद्यालय के छात्रों का अकादमी भ्रमण
– सभारोह पूर्वक मनाया गणतंत्र दिवस
– आचरण नियम एवं अनुशासन
– प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में कतिपय महत्त्वपूर्ण तथ्य
– पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय : आवश्यकता एवं सम्भावनाएं

निदेशक की कलम से ...

पुलिस का कार्य केवल अपराध नियंत्रण एवं अपराधों का अनुसंधान कर दोषी व्यक्तियों को सजा दिलवाना ही नहीं है, अपितु सामाजिक सरोकार भी है। आज देश को ऐसे पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता है जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को आत्मसात कर उनके संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए कार्य कर सकें। पुलिस अधिकारियों को कर्त्तव्य परायण होने के साथ-साथ पूर्ण निष्ठावान एवं साहसी भी होना चाहिए। राजस्थान पुलिस अकादमी एवं राजस्थान के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण में इन्हीं मूल्यों एवं परम्पराओं को अग्रसर करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशिक्षण के माध्यम से ही पुलिस कर्मियों के व्यवहार एवं सोच में परिवर्तन लाया जा सकता है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है। सुधार के प्रयास की शुरूआत होने से ही मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। हमारे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पुलिस को मित्र पुलिस की छवि प्रदान करने में सहायक होंगे।

पुलिस विभाग में आने वाले समय में अत्यधिक मात्रा में भर्ती की सम्भावना को देखते हुए नव प्रशिक्षुओं के लिए अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होगी। राजस्थान पुलिस अकादमी में इस निमित अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा एक अतिरिक्त साईबर लैब एवं एक मेस भवन का निर्माण भी करवाया गया है। पुलिस बल में नव प्रशिक्षुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशिक्षण में गुणवत्ता बनाये रखना भी एक चुनौती होगा। पुलिस मुख्यालय एवं प्रशिक्षण निदेशालय के साथ मिलकर भविष्य की इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। देश की अन्य पुलिस अकादमियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर राजस्थान पुलिस अकादमी में भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं। प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार रेन्ज एवं जिला स्तर पर किये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रयास किये जा रहे हैं।

भूपेन्द्र सिंह
निदेशक

अमेरिकी विश्वविद्यालय के छात्रों का अकादमी भ्रमण

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 17.01.12 को सायं 03.30 बजे बिंघमटन विश्वविद्यालय न्यूयार्क के छात्रों ने प्रोफेसर श्री विशाल गुप्ता एवं श्री सुरेन्द्र कहाय के साथ अकादमी भ्रमण किया। अकादमी के कॉन्फ्रेन्स हॉल में उन्हें राजस्थान पुलिस के उच्चाधिकारियों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ जिनमें महानिदेशक पुलिस श्री हरीश चन्द्र मीना के अतिरिक्त श्री सुधीर प्रताप सिंह अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण, श्री भूपेन्द्र सिंह, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी एवं श्री सुनील माथुर महानिरीक्षक पुलिस प्रमुख थे। छात्रों को अकादमी के निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा राजस्थान पुलिस संगठन तथा राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। इस अवसर पर श्री हरीश चन्द्र मीना, महानिदेशक पुलिस राजस्थान ने ''ट्राँसफोर्मेशनल लीडरशिप डपवलपिंग फिटनेश कल्चर इन राजस्थान पुलिस'' विषय पर वार्ता दी। महानिदेशक पुलिस द्वारा पुलिसकर्मियों में शारीरिक तन्दुरूस्ती को उनकी सेवा के लिए अपरिहार्य बताया गया। उन्होनें भर्ती के दौरान दौड़ते हुये जवानों के गिरने एवं बहोश होने की घटनाओं का मीडिया की सुर्खियाँ बनने का उल्लेख किया। उन्होंने अभ्यर्थियों के दौड़ में गिरने एवं बेहोश होने का प्रमुख कारण शारीरिक कमजोरी होना बताया तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव बताया। उन्होंने पुलिस भर्ती में पारदर्शिता लाने के प्रयास का उल्लेख भी किया। पुलिस की व्यावहारिक कठिनाइयाँ यथा 24 घण्टे की नौकरी, परिवार एवं स्वयं के लिए समय की कमी तथा कार्य विभाजन के अभाव का उल्लेख किया। उन्होंने पुलिस के कार्य का मूल्यांकन नहीं होने का भी उल्लेख किया। अन्त में उन्होनें बिंघमटन विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा पुलिस व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों के जबाव भी दिये। समारोह के अन्त में प्रोफेसर श्री सुरेन्द्र कहाय ने राजस्थान पुलिस द्वारा प्रतिनिधि मण्डल को दिये गये सम्मान एवं भारतीय पुलिस व्यवस्था के सम्बन्ध में दी गयी जानकारी के लिए धन्यवाद दिया।

छात्र प्रतिनिधि मण्डल को अकादमी का भ्रमण श्री दीपक भार्गव सहायक निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा करवाया गया। प्रतिनिधि मण्डल ने आउटडोर प्रशिक्षण एवं अकादमी अस्पताल में चल रहे आई.सी.एम.आर. प्रोजेक्ट में गहरी रुचि दिखाई। डॉ0 लोकेश चतुर्वेदी ने प्रतिनिधि मण्डल को प्रोजेक्ट, हेल्थ हैल्प लाईन एवं रिसर्च कार्य के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी प्रदान की तथा प्रतिनिधि मण्डल द्वारा पूछे गये प्रश्नों के जबाव दिये। छात्रों ने अकादमी में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का भी अवलोकन किया।

समारोह पूर्वक मनाया गणतंत्र दिवस

राजस्थान पुलिस अकादमी में गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष अकादमी परिसर में समारोह पूर्वक आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्ण हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अकादमी परिसर की विशेष सजावट की गई तथा विभिन्न भवनों पर रोशनी की गई। हॉस्टल्स के सम्मुख रंगोली बनाई गई। स्टेडियम पर विशेष रूप से सजावट की जाकर समारोह को भव्यता प्रदान की गई। परेड की सलामी श्री भूपेन्द्र सिंह, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा ली गई। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्‌बोधन में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अकादमी की गतिविधियों से और अधिक जुड़कर अकादमी को उत्कृष्टता प्रदान करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करने का आह्‌वान किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये। इण्डोर शाखा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुश्री वीणा शास्त्री पुलिस निरीक्षक, श्री राजेश सिंह एवं श्री देवीसिंह उप निरीक्षक एवं आउटडोर शाखा में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री ज्ञानसिंह एवं श्री हितेष मेहता, कम्पनी कमाण्डर, श्री भगत सिंह, श्री रामनाथ एवं श्री रजवन्त सिंह हैड कॉंस्टेबल के अतिरिक्त श्री मीठालाल, श्रीमती गायत्री, श्री सत्यभान, श्री छोटेलाल कॉंस्टेबल को पुरस्कार प्रदान किये गये। अन्य पुरस्कृत होने वालों में श्री लल्लूराम कॉंस्टेबल को कार्य प्रबन्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए, श्री मंगेस सिंह कॉंस्टेबल को रिसाला में उत्कृष्ट कार्य के लिए, श्री रामनारायण कॉंस्टेबल को कॉन्फ्रेन्स के रख रखाव एवं फोटोग्राफी के उत्कृष्ट कार्य के लिए, श्री जगदीश सिंह कॉंस्टेबल को कम्प्यूटर एवं सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स में उत्कृष्ट कार्य करने एवं श्री सत्यनाराण कॉंस्टेबल को अकादमी के टेलीफोन एवं ईपीएबीएक्स के रख रखाव में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किये गये।

इस अवसर पर पुलिस स्टाफ के अतिरिक्त श्री दीपेन्द्र सिंह चम्पावत लाईब्रेरियन, श्री राजेन्द्र महला कनिष्ठ लेखाकार, श्री अविनाश वरिष्ठ लिपिक, श्रीमती सुमन जांगिड़ ए.एन.एम., श्री भीमसिंह पम्प ड्राईवर, श्री अनूप सिंह बागवान, श्री दुर्गालाल सफाई कर्मचारी, श्री किशन लाल कुक एवं श्री भूपसिंह सईस आदि को भी अपने–अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये। ये पुरस्कार अकादमी के कर्मियों में उत्कृष्ट कार्य प्रतिबद्ध होकर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

प्रशिक्षुओं की सम्पर्क सभा

राजस्थान पुलिस अकादमी के ऑपन थियेटर में दिनांक 09.01.2012 को सायं 04.00 बजे सभी प्रशिक्षुओं की सम्पर्क सभा आयोजित की गई। इस सम्पर्क सभा में प्रशिक्षु, उप अधीक्षक पुलिस, प्रशिक्षु उप निरीक्षक, प्रशिक्षु आरक्षी के साथ ही अकादमी के समस्त अधिकारी भी शामिल हुये। इस अवसर पर श्री सुधीर प्रताप सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक प्रशिक्षण ने पुलिस के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए आतंकवाद एवं विभिन्न राज्यों में फैले माओवाद को प्रमुख चुनौती बताया। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में गरीब जनता में माओवाद के प्रसार का उल्लेख किया तथा पुलिस को इस चुनौती के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने एक पुलिसकर्मी पर उसके जीवन में अच्छे प्रशिक्षण से पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख भी किया। श्री सुधीर प्रताप सिंह ने पुलिस की नकारात्मक छवि का उल्लेख करते हुए इसमें सुधार के लिए सार्थक और सकारात्मक प्रयास किये जाने पर बल दिया तथा सभी पुलिसकर्मियों को अनुशासन और अच्छे ड्रेसिंगसेंस की पुलिस के लिए उपयोगिता भी बताई। उन्होंने कहा कि एक पुलिसकर्मी को देखकर लोग सम्पूर्ण पुलिस महकमे की छवि बनाते हैं। उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य की उपयोगिता बताते हुए अच्छी खुराक और अच्छी आदतों को पुलिसकर्मी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपरिहार्य बताया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिसकर्मी अच्छा खानपान एवं दिनचर्या रखने में विफल रहता है तो वह लम्बे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता है तथा विभिन्न बीमारियाँ उसे पुलिस नौकरी के लिए अनुपयुक्त बना देती है।

इस अवसर पर पुलिस पाठ्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न बातों का उल्लेख करते हुए कम्प्यूटर के ज्ञान को पुलिसकर्मी के लिए अति आवश्यक बताया। प्रशिक्षण के दौरान ही एक पुलिसकर्मी का पुलिस अधिकारी के रूप में सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक पुलिस अधिकारी कानून के प्रति जबावदेह होता है तथा उसे किसी के भी द्वारा दिये गये अवैध आदेशों को नहीं मानना चाहिए। पुराने थर्ड डिग्री जैसे तरीके आज के युग में अव्यावहारिक हैं तथा अपराधियों से निपटने के लिए कानून में ही पर्याप्त प्रावधान हैं। एक पुलिसकर्मी को अपराधियों पर कानून के प्रावधानों का प्रयोग करना आना चाहिए। पुलिसकर्मियों द्वारा जनता से किया जाने वाला अच्छा व्यवहार तथा मानव अधिकारों की रक्षा उन्हें जनता से सम्मान दिलवा पायेंगे और इसी से हमारा आम जन में विश्वास तथा अपराधियों में डर का लक्ष्य पूर्ण हो पायेगा। हमें गरीब एवं समाज के कमजोर वर्गों के साथ महिलाओं, वृद्धजनों एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा तथा कानून का शासन प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ–साथ आम आदमी के लिए भी उतना ही कारगर होना चाहिए।

पुलिस विभाग में सम्पर्क सभाओं के माध्यम से अधीनस्त कर्मचारियों को विभागीय नियम एवं नीतियों से अवगत कराया जाता है। प्रशिक्षुओं को पुलिस विभाग की प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी भी सम्पर्क सभाओं के माध्यम से दी जाती है। सम्पर्क सभाओं के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयत्न भी करते है। प्रशिक्षु द्वारा सम्पर्क सभा में खुलकर अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। सम्पर्क सभा में अधीनस्थों से संवाद द्वारा पुलिस में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण ने सम्पर्क सभा में प्रशिक्षुओं को राजस्थान पुलिस की अपेक्षाओं से अवगत करवाकर जनता की बेहत्तर सेवा करने का आह्वान किया। सम्पर्क सम्मलेन के अन्त में राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक प्रशिक्षण का सम्पर्क सभा में प्रशिक्षुओं को दिये गये उद्‌बोधन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने भी प्रशिक्षुओं से आम आदमी की सेवा निष्पक्ष भाव से एवं आगे बढ़कर करने का आह्वान किया।

ह्यूमन ट्रेफिकिंग पर कार्यशाला

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 15.03.2012 से 17.03.2012 तक तीन दिवसीय 'ह्यूमन ट्रेफिकिंग इन ह्यूमन बिइंग,' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सम्पूर्ण प्रदेश के उप निरीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 30 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान ह्यूमन ट्रेफिकिंग से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिये गये। विश्व में मानव तस्करी की विभत्स तस्वीर इस कार्यशाला के दौरान उभर कर आई। मानव तस्करी में गरीब, असहाय बच्चे एवं औरतें शिकार बनती हैं। कार्यशाला के दौरान विभिन्न विषयों पर व्याख्यान हुए। मानव तस्करी पर कानून एवं न्यायालयों के निर्णयों, जिनमें देह शोषण, श्रम शोषण एवं अन्य तरह के होने वाले शोषण के सम्बन्ध में प्रोफेसर सरफराज खान, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइन्स कोलकता द्वारा व्याख्यान दिया गया। श्री सरफराज खान ने अपने व्याख्यान 'ह्यूमन राइट ईश्यू इन ट्रेफिकिंग' की शुरूआत अनमोल मोती नाम के लघुवृत्त चित्र से की तथा उन्होंने विश्व स्तर पर मानव तस्करी के अवैध व्यापार की तस्वीर प्रस्तुत करते हुए पुलिस अनुसंधान में रहने वाली प्रमुख त्रुटियों का उल्लेख भी किया। श्री आर.के. सक्सेना, सेवानिवृत्त महानिरीक्षक, राजस्थान जेल सर्विस, द्वारा व्याख्यान दिया गया। श्री सक्सेना ने बताया कि मानव तस्करी दुनिया का तीसरा बड़ा अवैध व्यापार है और मॉरिशस जैसे देशों का प्रमुख व्यापार भी है। उन्होंने दूसरे प्रान्तों से लाई गई एवं खरीदी गई विवाहिताओं का भी जिक्र किया जो मानव तस्करी का एक नया रूप है। श्री सक्सेना ने यह भी सुझाव दिया कि अगर किसी लड़की का विवाह 15 वर्ष से कम उम्र में हो जाता है तो कानून के अनुसार उसे बलात्कार की परिभाषा में माना जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो बच्चे विदेशों में मानव तस्करी से ले जाये जाते हैं, उनको नशीली दवाओं के धन्धे में लगा दिया जाता है। उन्होंने राजस्थान के वागड़ एरिया के लोगों को गुजरात में रूई बीनने के कार्य में लगाये जाने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि इस कार्य के लिए बच्चों का चुनाव इसलिए किया जाता है क्योंकि वो रूई बीनने का कार्य बड़ों की तुलना में ज्यादा तेजी से करते हैं। इन बच्चों को वहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति में रखा जाता है तथा कई बच्चे वहाँ पर मर भी जाते हैं। बहुत सी लड़कियों का देह शोषण भी किया जाता है। इस कार्य में माता पिता के अतिरिक्त वह तीसरा व्यक्ति लाभ कमाता है जो इनको मानव तस्करी कर वहाँ ले जाता है। पूर्व में इन बच्चों की तस्करी निजी वाहनों द्वारा की जाती थी परन्तु आजकल पुलिस की रेड से बचने के लिए इन्हें सरकारी वाहनों से ले जाया जाता है। श्री सक्सेना ने बताया की ईंट भट्टों, होटलों आदि में भी छोटे–छोटे मासूम बच्चों को अत्यधिक परिश्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रोफेसर राजीव गुप्ता, विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में मानव तस्करी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मानव तस्करी, प्रमुखतः वैश्यावृति, जबरन मजदूरी जिसमें बीटी कॉटन, ईंट–भट्टे, घरेलू नौकर, मसाज पार्लर आदि के लिए, मानव अंगों का व्यापार, भीख मांगना, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन, दवाईयों का परीक्षण आदि के लिए की जाती है। समाज में मानव तस्करी के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने मानव तस्करी को सबसे खतरनाक शोषण बताते हुए उन मजलूम लोगों का जिक्र भी किया, जिनके पलायन का सरकार या किसी संस्था द्वारा कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है। उन्होंने मानव तस्करी को मानवता एवं मानव सभ्यता दोनों के लिए अपराध बताया तथा इसमें मल्टीनेशनल कम्पनियों की भूमिका का भी उल्लेख किया। श्री सत्यनारायण भोजक सेवा निवृत्त ए.पी.पी. द्वारा मानव तस्करी के मामले में शोषण एवं बालश्रम के कानूनी पक्ष एवं प्रक्रिया पर व्याख्यान दिया गया। श्री भोजक ने अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कम उम्र की लड़कियों के अपहरण तथा वैश्यावृति के मामलों में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। श्री भोजक ने आई.टी.पी.ए. की धारा 8, मुक्त कराई गई लड़कियों की सुपुर्दगी एवं अन्य कानूनी पहलुओं पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। अन्य प्रमुख वक्ताओं में प्रोफेसर डॉ. रोमा देवब्रता दिल्ली विश्व विद्यालय, जो स्टॉप एन.जी.ओ. से जुड़ी हुई हैं, ने मानव तस्करी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए रेड लाईट एरिया से मुक्त करवाई गई लड़कियों की मनोदशा एवं समस्याओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मुक्त कराई गई लड़कियाँ बार–बार छल की शिकार होने के कारण बाहर के किसी भी सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति या पुलिस पर विश्वास नहीं करती हैं। मुक्त कराने के पश्चात् इनके पुनर्वास में व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पुनर्वास के परम्परागत् तरीकों को जीवनयापन के लिए अपर्याप्त एवं अव्यावहारिक बताया। इन मुक्त कराई गई लड़कियों को कोर्ट में अभियुक्तों के विरूद्ध गवाही के दौरान धमकी एवं भय का सामना करना पड़ता है, जिससे अभियुक्तों

को सजा दिलवा पाना एक चुनौती बन जाता है। गैर सरकारी संगठन एवं संस्थाएं भी इनके प्रति वांछित सहानुभूति नहीं रखते हैं तथा इनके साथ अमानवीय व्यवहार एवं प्रताड़ना का तरीका अपनाते हुए इन्हें बेहद खराब स्थितियों में रखते हैं। महिलाओं की इस स्थिति का प्रमुख कारण उन्होंने समाज में इनकी कमजोर स्थिति को बताते हुए जन्म से मृत्यु तक उन्हें एक जिम्मेदारी माने जाने की मानसिकता को बताया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मुक्त कराई गई लड़कियों को रहने के लिए उचित स्थान, खाना, निरन्तर समझाईश एवं अविलम्ब चिकित्सीय परीक्षण करवाने की आवश्यकता बताई। डॉ. धनन्जय मोरे, व्याख्याता फोरेन्सिक मेडीसिन, थाणे ने अपने व्याख्यान में मानव तस्करी से जुड़े विभिन्न अपराधों में चिकित्सकीय परीक्षण का महत्त्व बताते हुए मानव तस्करी की शिकार लड़कियों की उम्र के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली विधि एवं कानूनी उपादेयता पर प्रकाश डाला।

वी.आई.पी. सुरक्षा पर कार्यशाला

वी.आई.पी. सुरक्षा पर अकादमी में श्रीलंका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे 300 अधिकारियों को 8 बैच में प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् अकादमी को देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी बी.पी.आर.एण्ड.डी. द्वारा निरन्तर दी जाती रही है। राजस्थान पुलिस अकादमी आज वी.आई.पी. सुरक्षा प्रशिक्षण में देश में अपना स्थान बना चुकी है। अकादमी के पास वी.आई.पी. सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों की एक टीम बन चुकी है। इस प्रशिक्षण में श्री के.के. शर्मा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आयोजना एवं कल्याण द्वारा वी.आई.पी. सुरक्षा के कई विषयों पर व्याख्यान दिये जाते हैं। श्री के.के. शर्मा राज्यपाल के परिसहाय, इण्डियन एयर लाईन्स में मुख्य सर्तकता अधिकारी के अतिरिक्त एस.पी.जी. में भी 6 वर्ष तक अपनी सेवायें प्रदान कर चुके हैं। राज्य पुलिस के अधिकारी जो एस.पी.जी. में प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं, उन्हें ही प्रायः वी. आई.पी. सुरक्षा के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की जाती है।

वी.आई.पी. सुरक्षा पर 21 पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण दिनांक 19.03.2012 से 29.03.2012 तक आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त 7 पुलिस अधिकारी हरियाणा पुलिस के भी शामिल हुए। यह प्रशिक्षण बी.पी.आर.एण्ड डी. के सौजन्य से आयोजित किया जाता है तथा खाने एवं आवास की सुविधा प्रशिक्षणार्थियों के लिए निःशुल्क प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण के अन्त में सभी प्रशिक्षणार्थियों की लिखित परीक्षा ली जाती है। प्रशिक्षण प्रदान करने वाले फैकल्टी के सदस्यों के सम्बन्ध में भी फीड बैक प्राप्त कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बनाये रखने का प्रयास किया जाता है।

अनुभव पर जोश की जीत

गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच के दौरान प्रशिक्षुओं और अकादमी की टीम आमने सामने थी। सर्वप्रथम अकादमी स्टाफ की टीम को बैटिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह दिन शायद प्रशिक्षुओं के नाम लिखा था। प्रशिक्षुओं द्वारा की गई बॉलिंग के सामने अकादमी के धुरन्धर खिलाड़ी भी आनन–फानन में ही धराशाही होते नजर आये। अकादमी की तरफ से कोई भी खिलाड़ी प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहा। अकादमी की तरफ से सर्वाधिक रन श्री सत्यमणि तिवारी, उप अधीक्षक पुलिस ने बनाये। प्रशिक्षुओं की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आसानी से अकादमी टीम पर जीत दर्ज की। इस दौरान दर्शक दीर्घा से अपनी–अपनी टीम का उत्साहवर्धन किया गया। प्रशिक्षुओं द्वारा खेल के दौरान रोचक कमेन्ट्री कर सभी का मनोरंजन किया गया। मैच की समाप्ति पर निदेशक महोदय ने प्रशिक्षुओं की टीम को जीत के लिए बधाई दी। आज तक के अधिकांश मैच अकादमी टीम द्वारा ही जीते गये हैं। इस बार अभ्यास के अभाव में अकादमी टीम अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई। उम्मीद है कि भविष्य में अकादमी स्टाफ पूर्ण तैयारी के साथ मैच में उतरेगा तथा जोश पर पुनः अनुभव का परचम फहरायेगा। बहरहाल! जोश की अनुभव पर जीत के लिए प्रशिक्षुओं की टीम को हार्दिक बधाई।

आचरण नियम एवं अनुशासन

सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों के आचरण को सरकार आचरण नियमों द्वारा नियंत्रित करती है। कोई सरकारी कर्मचारी अगर सरकार द्वारा विहित आचरणों का पालन नहीं करता है तो उस पर दुराचरण का आरोप लगाकर उसे दण्डित किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारियों में अनुशासन बनाये रखने के लिए राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 बनाये गये हैं। किसी राज्य कर्मचारी द्वारा इन नियमों की अवहेलना करने पर उसे दुराचरण के आरोप में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 14 में उल्लेखित सात शास्तियों में से किसी भी शास्ति से दण्डित किया जा सकता है। लघु शास्ति के लिए नियम 17 एवं बड़ी शास्ति लगाने के लिए नियम 16 की प्रक्रिया अपनाई जाकर दण्ड का आदेश पारित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत जिन आरोपों पर जाँच किया जाना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं हो, बिना जाँच भी दण्ड के आदेश पारित किये जा सकते हैं।

कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सदैव पूर्ण ईमानदारी रखें, कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखें और कोई इस प्रकार का कार्य नहीं करें जो उनके सरकारी सेवक होने के नाते अनुचित हो। पर्यवेक्षीय –पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कदम उठायें जिससे की उनके नियंत्रण और प्राधिकार में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों की ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित हो सके। सरकारी कर्मचारियों को आचरण नियमों में यह भी निर्देशित किया गया है कि वे सरकारी कार्य उत्तम निर्णय से करेंगे। उनके लिए यह भी विहित किया गया है कि जहाँ तक सम्भव हो, निर्देश लिखित रूप में प्राप्त करेंगे और जब लिखित निर्देश प्राप्त करना सम्भव न हो, तो कार्य के शीघ्र पश्चात् यथासम्भव प्राप्त निर्देश की लिखित पुष्टि करवायेंगे।

कर्मचारी का भ्रष्ट आचरण यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डनीय अपराध है परन्तु कतिपय मामले, जो गम्भीर प्रकृति के नहीं हों, उनमें आचरण नियमों के तहत कार्यवाही किया जाना उचित रहता है। किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा के मामले में आचरण नियमों के तहत ही कार्यवाही की जाती है। कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा की कमी में कर्त्तव्य का लोप, विलम्ब या गलत तरीके से कार्य किया जाना शामिल है। अनुचित आचरण में नैतिक पतन, जनता के बीच बेढ़ंगे प्रकार से व्यवहार, बेनामी या झूठे परिवाद देना एवं अनैतिक जीवन व्यतीत करना शामिल है। नैतिक पतन, जनता के बीच बेढ़ंगे प्रकार से व्यवहार को कर्मचारी के कृत्य अथवा जीवनशैली के आधार पर तय किया जा सकता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्जित आचरणों में सरकारी स्थान का अप्राधिकृत उपयोग, संरक्षण प्राप्त संस्थानों में निकट सम्बन्धियों का नियोजन, अवकाश के समय सेवा नियुक्ति स्वीकार करना, राजनीति और चुनावों में भाग लेना, ऐसे संघों में सम्मिलित होना जिसके उद्देश्य एवं गतिविधियाँ, भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता के हित या लोक व्यवस्था और नैतिकता के प्रतिकूल हो, प्रदर्शन और हड़तालें करना जो भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्री सम्बन्धों, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित के प्रतिकूल हो, या जिनसे न्यायालय का अपमान या मान–हानि हो या जिनसे किसी अपराध को प्रोत्साहन मिलता हो। इसमें अपनी सेवा या अन्य सरकारी कर्मचारियों की सेवा से सम्बन्धित मामलों में हड़ताल को प्रोत्साहन देना भी शामिल है। प्रेस एवं रेडियो से सम्बन्ध तथा उनका स्वामित्व ग्रहण करना या संपादन या प्रबन्धन करना तथा सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रसारण में भाग लेना तथा नियुक्ति अधिकारी की अनुमति के बिना कोई लेख या पत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित करना भी वर्जित किया गया है परन्तु शुद्ध रूप से कलात्मक या वैज्ञानिक लेखों के लिए पूर्व अनुमति की बाध्यता नहीं है। सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार की आलोचना करना, किसी समिति या अन्य अधिकारी के समक्ष बिना नियुक्ति अधिकारी की अनुमति के साक्ष्य देना भी शामिल है परन्तु सरकार, संसद या राजकीय विधानमण्डल अधिकारी के समक्ष, न्यायिक कार्य में दी गई साक्ष्य तथा विभागीय जांच में दी गई साक्ष्य में उक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनाधिकृत सूचना का आदान–प्रदान, चंदा या उपहार प्राप्त करना, सरकारी कर्मचारी के सम्मान में लोक प्रदर्शन, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा परीक्षाओं में विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना सम्मिलित होना, निजी व्यापार में नियोजन, विनियोजन या ऋण का लेन–देन, दिवालियापन और आदतन कर्जदारी भी सरकारी कर्मचारी के लिए प्रतिबंधित आचरण की श्रेणी में आते हैं। कर्मचारियों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे अपनी सम्पत्ति और दायित्वों का प्रतिवेदन, चाहे वह स्वयं के नाम हो या परिवार के किसी सदस्य के नाम, सरकार द्वारा उस संवर्ग के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक की होने पर सूचित करेंगे तथा निर्धारित अधिकारी के सूचना दिये बिना कोई अचल सम्पति लीज, रहन, क्रय–विक्रय,

शेष पृष्ठ 9 पर

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद से आधारभूत प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् 63 वें बैच के 5 आई.पी.एस प्रशिक्षु अधिकारियों को राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 16.01.2012 से 05.02.2012 तक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस बैच में श्री देशमुख परिस अनिल, श्री गगनदीप सिंगला, श्री राजीव पचार, श्री विनित राठौड़ एवं श्री विकास शर्मा को अकादमी में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अकादमी प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को राज्य में सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास, त्यौंहार, महत्त्वपूर्ण स्थान, रीतिरिवाज, वेशभूषा, राजनीतिक स्थिति, कृषि, राजनीति, कानून व्यवस्था की स्थिति, प्रशासनिक ढ़ाँचा, प्रोटोकोल के नियम आदि के अतिरिक्त स्थानीय एवं विशेष अधिनियम, राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम, आर.एस.आर. जी.एफ. एण्ड ए.आर. आदि पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिये गये। इन अधिकारियों को इस अवधि में अकादमिक भ्रमण एवं पुलिस मुख्यालय तथा सचिवालय में उच्चाधिकारियों से मुलाकात भी करवाई गई। इस अवधि में अंतिम तीन दिवस के लिए इन्हें राजस्थान आर्म्ड कॉस्टेबलरी की चतुर्थ एवं पांचवी बटालियन पर अटैच किया जाकर आरएसी के प्रशासनिक ढ़ांचे एवं विभिन्न शाखाओं की जानकारी प्रदान की गई।

इस बैच में आने वाले अधिकारियों में तीन अधिकारी अभियांत्रिकी में तथा दो अधिकारी मेडिकल में अध्ययन करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए हैं। इस बैच के राजीव पचार पूर्व में आई.पी.एस. में चयनित होने के बाद पुनः अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा राजस्थान कॉडर में आये हैं। श्री अनिल परिस देशमुख राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अपने बैच के सर्वश्रेष्ठ कैडेट भी रहे हैं। अकादमी प्रशिक्षण के पश्चात इन अधिकारियों को 24 सप्ताह के लिए विभिन्न स्थानों पर अटैचमेन्ट किया जाकर राज्य पुलिस की विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

आरक्षी बैच का आधारभूत प्रशिक्षण प्रारम्भ

राजस्थान पुलिस अकादमी में आरक्षी प्रशिक्षु बैच संख्या 59 में 440 पुरूष व 68 महिला आरक्षी के 508 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण दिनांक 22.01.2012 से प्रारंभ हुआ। इस बैच के संचालन हेतु श्री राजेन्द्र चौधरी व श्रीमती सुशीला यादव पुलिस निरीक्षकों को कोर्स कोर्डिनेटर व श्री करण सिंह व श्री सुरेन्द्र पंचोली उप निरीक्षकों को सहायक कोर्स कॉर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। नव नियुक्त आरक्षी प्रशिक्षु को आवश्यक साजो सामान के साथ उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये गये थे। इन्हें आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान पी.टी. परेड, हथियारों की सिखलाई आदि के साथ इण्डोर कक्षाओं में कानून तथा पुलिस आरक्षी के कार्य से जुड़ी विभिन्न बातों की सिखलाई दी जायेगी। इन्हें भारतीय संविधान, विभिन्न पुलिस संगठन, विधि विज्ञान आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जायेगी। आरक्षियों का प्रशिक्षण दो चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुछ विषयों की जानकारी जिला स्तर पर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

शेष पृष्ठ 8 ....

उपहार अपने या परिवार के किसी सदस्य के नाम न तो प्राप्त करेंगे और न ही देंगे। अन्य प्रतिबंधित कार्यों में सरकार द्वारा चाहे गये प्रतिवेदन के अतिरिक्त कोई प्रतिवेदन देना, प्रतिकूल चर्चा को सही ठहराने के लिए न्यायालय या समाचार पत्र का सहारा लेना, उच्चाधिकारियों पर प्रभाव डालना, दूसरा विवाह करना, दहेज का लेन–देन या उकसाना या मांग करना, नशीले पेय या औषधियों का प्रयोग, विदेशी संविदायुक्त फर्मों से तथा अधीनस्थों से आतिथ्य स्वीकार करना तथा शासकीय प्रणाली का सहारा लिए बिना न्यायालय से निर्णय प्राप्त करना आदि शामिल हैं।

सरकारी सेवकों के लिए विहित आचरण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जनता को निष्पक्ष, ईमानदारीपूर्ण तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुसार सेवा प्राप्त हो सके। हमारे इर्द–गिर्द इस प्रकार के सरकारी सेवक भी बहुतायत में हैं जिनकी ईमानदारी एवं कर्त्तव्यनिष्ठा विवादित होते हुए भी उनके विरूद्ध आचरण नियमों के तहत कार्यवाही संभव नहीं हो पाती है। वस्तुतः ऐसे कर्मचारी न केवल सरकारी खजाने पर भार हैं अपितु जनता को मिलने वाली सेवा में भी बाधा डालते हैं। इन कर्मचारियों पर भी नियंत्रण इन आचरण नियमों के तहत ही सम्भव है। बिना आचरण नियमों के सरकारी सेवकों में अनुशासन सम्भव नहीं है परन्तु कर्मचारियों को आचरण नियमों की जानकारी नहीं होती है। सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को आचरण नियमों की जानकारी प्रदान करने से अनुशासनहीनता के मामलों में कमी लाई जा सकती है।

जगदीश पूनियाँ, आर.पी.एस.

प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में कतिपय महत्वपूर्ण तथ्य

प्रथम सूचना रिपोर्ट न तो सारवान् साक्ष्य (substantive piece of evidence) है और न ही एनसाईक्लोपीडिया (encyclopedia)। परन्तु परिवादी के साक्ष्य की सम्पुष्टि (corroboration) तथा विरोधाभास (contradiction) के रूप में साक्ष्यिक महत्व रखती है। – नासिर अली बनाम यू.पी.राज्य ए. आई.आर. 1957 सुप्रीम कोर्ट 366

राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 – राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 31 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी पर एफ. आई.आर. दर्ज करने का कानूनी दायित्व है। यदि कोई पुलिस अधिकारी दोषी पाया जाता हे तो जिला पुलिस अधीक्षक ऐसे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और दिये गये दण्ड को सेवा अभिलेख में लिखा जायेगा।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2011 – राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2011 की धारा 3 के अनुसार पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध की इतिला मिलने के 24 घण्टे के भीतर एफ.आई.आर. की नकल उपलब्ध कराने के लिए कानूनन बाध्य है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार करना व असत्य तथ्यों का समावेश –

क. संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार करने पर उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 217 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

ख. यदि कोई पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट में असत्य तथ्यों का समावेश करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 व 218 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

ग. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत न्यायालय से प्राप्त परिवाद पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान करने से इस आधार पर इंकार नहीं कर सकता कि वह क्षेत्राधिकार नहीं रखता। – रसिक लाल दलपत राम ठक्कर बनाम गुजरात राज्य व अन्य ए.आई.आर. 2010 सुप्रीम कोर्ट 715

प्रथम सूचना में विलम्ब का प्रभाव –

क. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में रिपोर्टकर्त्ता द्वारा विलम्ब – प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना अनावश्यक विलम्ब के दर्ज करवानी चाहिये। यदि एफ.आई.आर. दर्ज कराने में रिपोर्टकर्त्ता विलम्ब करता है तो उस विलम्ब का कारण स्पष्ट करना आवश्यक है। उक्त विलम्ब का कारण स्पष्ट न किये जाने की दशा में न्यायालय यह अभिधारणा कर सकता है कि एफ.आई. आर. को संभवतः तोड़ा–मरोड़ा गया है। – शाक्तू बनाम यू.पी. राज्य ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट।

ख. प्रथम सूचना दर्ज करने में पुलिस द्वारा विलम्ब – पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की इतिला प्राप्त होते ही एफ.आई.आर. दर्ज करनी चाहिये। लेकिन किसी कारणवश थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस द्वारा विलम्ब हो जाता है, तो विलम्ब के कारण को स्पष्ट करना आवश्यक है। – एप्रेन जोसफ बनाम केरल राज्य ए.आई.आर 1973 सुप्रीम कोर्ट।

ग. न्यायालय में विलम्ब से प्रेषित प्रथम सूचना रिपोर्ट – यदि न्यायालय में एफ.आई.आर. देरी से भेजी जाती है, तो यह अभियोजन के मामले को संदिग्ध बनाता है। यदि देरी के कारण से न्यायालय संतुष्ट नहीं होता है तो यह अभियोजन केस पर विपरीत प्रभाव डालता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 की उपधारा (1) के तहत थाने से न्यायालय को एफ.आई.आर. की प्रति तत्काल भिजवायी जानी चाहिये।–सुखबीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर, 1978, राजस्थान 581

प्रथम सूचना रिपोर्ट में लोप (Omission) का प्रभाव – वस्तुतः प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध की औपचारिक सूचना है जिसमें घटित अपराध के कारण, उद्देश्य, समय, स्थान, पीड़ित, अपराधी व उसकी पहचान, अपराधियों की अपराध में भागीदारी, साक्षी, परिस्थितियॉं, तरीका–ए–वारदात, भौतिक साक्ष्य इत्यादि का यथासंभव उल्लेख होना चाहिये। प्रथम सूचना रिपोर्ट में महत्वपूर्ण तथ्यों, चश्मदीद गवाहों के नाम व अभियुक्तों के नाम का लोप होने का प्रभाव निम्न प्रकार से है

क. तथ्यों के लोप का प्रभाव – एफ.आई.आर. में बहुत माईन्यूट डिटेल्स (minute details) नहीं होती क्योंकि साधारणतः एफ.आई.आर. जल्दबाजी (hasty) में लिखी जाती है। उदाहरणस्वरूप डकैती के मामले में कुछ आईटमस् लिखने से रह गये, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस लिहाज से एफ. आई.आर. का खण्डन (contradiction) किया जा सके। एफ. आई.आर. को अंतिम शब्दों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये। – भोपत सिंह किशन सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट व पोद्दा नारायण बनाम ए.पी. राज्य ए.आई. आर. 1975 सुप्रीम कोर्ट 1252

ख. गवाहों के नाम का लोप – यदि किसी मामले में चश्मदीद गवाह हैं तो प्रथम सूचना में चश्मदीद गवाहों के नाम का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन प्रथम सूचना में गवाहों के नाम का उल्लेख नहीं होने का अर्थ यह नहीं होता कि गवाह घटनास्थल के आस–पास नहीं था। – इन रि रामैया ए.आई. आर. 1957 ए.पी.।

ग. अभियुक्तों के नाम का लोप – यदि पीड़ित या चश्मदीद गवाह अभियुक्तों को जानते हो तो उनका नाम एफ.आई.आर. में अंकित होना चाहिये। अभियुक्त ज्ञात होने के बावजूद उनका नाम एफ.आई.आर. में न होने से केस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अभियुक्त ज्ञात नहीं होने की स्थिति में एफ.आई.आर. में उनका उल्लेख नहीं किया जाना स्वाभाविक है। अतः अभियुक्त के नाम का उल्लेख न करने का संतोषजनक कारण (satisfactory explanation) होने पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाला पीड़ित या चश्मदीद नहीं है तो उसके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में अभियुक्तों के नाम का उल्लेख न होना भी केस को प्रभावित नहीं करता। – राजस्थान राज्य बनाम करतार सिंह ए.आई. आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट व बिशनदास बनाम पंजाब राज्य ए. आई.आर. 1975 सुप्रीम कोर्ट 573

बिना एफ.आई.आर. दर्ज किये अनुसंधान प्रारंभ करना –

अ. संज्ञेय अपराध की सूचना आपराधिक विधि को गति प्रदान करती है और इसी से पुलिस को अनुसंधान करने का प्राधिकार व शक्ति प्राप्त हो जाती है भले ही प्रथम सूचना को दर्ज करने की औपचारिकता पूर्ण नहीं हुई हो। – कान्तिलाल दामोदरदास बनाम गुजरात राज्य ए.आई.आर., 1970, गुजरात 218

ब. पुलिस अधिकारी को थाने पर स्थानीय व विशेष अधिनियमों से संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उसे रोजनामचे में अंकित करने के बाद मौके पर अनुसंधान करके वापसी पर एफ.आई.आर. दर्ज करता है। इसी तरह गश्त के दौरान सूचना मिलने पर माईनर एक्ट्स संबंधी अनुसंधान कर वापसी पर थाने पर एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकती है। यहाँ विधि की मंशा यह है कि प्रथम सूचना दर्ज करने की औपचारिकता से होने वाले विलम्ब के कारण कहीं अन्वेषण का प्रयोजन ही विफल न हो जाय।

एक ही मामले में एकाधिक प्रथम सूचना –

क. पश्चात्वर्ती एफ.आई.आर. (Subsequent FIR) की अमान्यता – एक ही घटना के बारे में कमोबेश एक साथ दो सूचनाएं पुलिस थाने पर प्राप्त होती है और एक पर एफ.आई. आर. दर्ज कर ली गई हो तो दूसरी रिपोर्ट धारा 162 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रतिकूल होगी। – गन्सा ओरोन बनाम किंग एम्परर ए.आई.आर. 1923 पटना तथा टी.टी. एंटोनी बनाम केरल राज्य ए.आई.आर. 2001 सुप्रीम कोर्ट 2637

अपराध के बारे में सारवान् सूचना की प्रविष्टि रोजनामचा आम के करने के बाद घटनास्थल पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा गवाह के लिखित कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से विरोधात्मक हो जाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में ग्राह्य नहीं है। – देव पुजान ठाकुर व अन्य बनाम बिहार राज्य 2005 क्रिमीनल लॉ जरनल 1263

ख. क्रॉस केसेज में काउण्टर एफ.आई.आर. (Counter FIR) की वैधता – क्रोस केसेज में दोनों पक्षों द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्टो में से बाद में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के दायरे में नहीं आती है। इस प्रकार गुटीय लड़ाई (free fighting) में दोनों पक्षों की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। – आर.बी.देवी बनाम एम.एल. मालाकर ए.आई.आर. 1965.

आलोक श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय : आवश्यकता एवं सम्भावनाएँ

आज विश्व स्तर पर पुलिस सम्बन्धी विषयों को विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था के रूप में विकसित किये जाने पर व्यापक रूप से बल दिया जाने लगा है। अकादमिक एवं विश्वविद्यालयी विषयों की ज्ञान एवं उनके अनुप्रयोग की अपार संभावनाएँ सदैव रही है। आधुनिक काल में लोकतन्त्र, उदारवाद, जनकल्याणकारी राज्य की अवधारणा आदि के साथ–साथ पुलिस एवं पुलिसिंग की पद्धति, सिद्धान्तों एवं अनुप्रयोगों में भी व्यापक परिवर्तन आये हैं। वर्तमान में किसी भी लोकतान्त्रिक समाज में पुलिस एवं पुलिसिंग एक जटिल एवं चुनौतिपूर्ण विषय के रूप में उभर रहा है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षो में विश्व के अनेक देशों में पुलिस सम्बंधी अध्ययन को विश्वविद्यालयी स्तर पर अध्ययन किये जाने की परम्परा प्रारम्भ की गई है। इस परम्परा के अन्तर्गत ताईवान, नॉर्वे, यूके, चीन जैसे देशो में पुलिस सम्बंधी विषयों को अकादमिक विषयों के रूप में मान्यता देकर पृथक पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं। किन्तु फिर भी अभी तक अकादमिक जगत में विश्वविद्यालय के स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा प्रबन्धन सम्बंधी विषय उपेक्षित रहे हैं। हाल ही के दशकों में पुलिस एवं पुलिसिंग को बेहतर, सक्षम तथा संवेदनशील बनाने एवं बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया एवं समाज के अन्य वर्गों में पुलिस की बेहतर समझ विकसित करने के लिए पुलिस संम्बधी विषयों पर अकादमिक पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने की संस्थागत रूप से आवश्यकता महसूस की जा रही है जो कि पुलिस विश्वविद्यालय जैसी संस्था के माध्यम से ही बेहतर रूप से किया जा सकता है। इसी अनुक्रम में राजस्थान के मुख्यमन्त्री माननीय अशोक गहलोत द्वारा पुलिसिंग एवं सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों को देखते हुए जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा 2012–13 के बजट भाषण में की गयी।

वर्तमान लोकतांत्रिक एवं जटिल समाज में विशेषज्ञता का दौर बढ़ता जा रहा है। इसी प्रक्रिया में पुलिस का कार्य भी बदली हुए परिस्थितियों में चुनौतिपूर्ण होता जा रहा है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की आवधारणा के अन्तर्गत सभी सरकारों का अधिक ध्यान विकास पर केन्द्रित होता जा रहा है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अर्न्तगत विविध देशों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आकलन विकास दर के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाता है। वर्तमान में 'विकास बनाम सुरक्षा' विद्वानों, आयोजना विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों के बीच वाद–विवाद का विषय रहा है। जहाँ एक ओर सुरक्षा विशेषज्ञ सुरक्षा में रूचि रखते हैं वही दूसरी ओर लोककल्याणकारी चिन्तक एवं अनेक राजनीतिज्ञ विकास पर बल देते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि विकास के लिए शान्ति एवं सुरक्षा में नागरिकों की भागीदारी भी सैद्धान्तिक एवं अनुप्रयोग स्तर पर सुनिश्चित की जाय। इन दोनो पहलूओं के महत्त्व को उचित रूप से समझा जाना चाहिए ताकि रचनात्मक समाज का विकास किया जा सके।

प्रशिक्षण के इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि पुलिस बलों के प्रशिक्षण में सुधार की सम्भावना सदैव विद्यमान रहती है। आधुनिक काल में बेहतर तरीके से प्रशिक्षित पुलिस बल की समाज को सबसे अधिक आवश्यकता है, किन्तु पुलिस बलों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण अभी भी अपर्याप्त है। वर्तमान समय में पुलिस कार्मिकों की संख्यात्मक दृष्टि से जितनी आवश्यकता होती है उतने प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कारण अधिकांश पुलिस कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो पाता। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र की स्थिरता एवं आन्तरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर रूप से प्रशिक्षित एवं सक्षम पुलिस बल की सदैव आवश्यकता रहती है। लोकतान्त्रिक राज्य की अवधारणा के साथ अब पुलिस का कार्य केवल शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तक ही सीमित नहीं रह गया है अपितु उससे जनकल्याणकारी कार्यों में सक्रिय सहयोग देने की अपेक्षा भी की जाती है।

भारत में पुलिस कार्मिकों की लगभग संख्या 30 लाख है। यदि इसमें विविध सुरक्षा एजेन्सियों के कार्मिको को भी सम्मिलित किया जाता है तो यह संख्या एक करोड़ तक हो जाती है। किन्तु भारत जैसे देश में जहाँ 'रेगुलर' पुलिस बलों को प्रशिक्षण देने की ही अपनी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक सीमा होती है तो ऐसी स्थिति में निजी सुरक्षा ऐजेन्सियों के कार्मिकों को मिलने वाले प्रशिक्षण एवं सैद्धान्तिक ज्ञान का अनुमान भी स्वतः लगाया जा सकता है। वस्तुतः इन सुरक्षा एजेन्सियों के कार्मिकों का पुलिस एवं आन्तरिक सुरक्षा सम्बंधी ज्ञान सामान्यतः अत्यन्त न्यून होता है। इस कारण उनसे सुरक्षा सम्बंधी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वर्तमान में नई आर्थिक नीतियों, द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार एवं भारत के तृतीय आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया के अर्न्तगत निजी औद्योगिक संस्थाओं, एक्सपोर्ट हाउसेस एवं नवीन सामाजिक संस्थाओं/प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा हेतु भविष्य में और भी अधिक सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता है। निस्संदेह ऐसे संस्थानों की इस आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान परिस्थितियों में किया जाना सम्भव नहीं है। इसके लिए पुलिस एवं सुरक्षा अध्ययन को विश्वविद्यालय स्तर पर अकादमिक विषय के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

इस आधार पर सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि पुलिस अध्ययन से सम्बंधित डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पुलिस एवं आन्तरिक सुरक्षा सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान की जाय। सरकारी स्तर पर ऐसा निर्णय हो कि पुलिस स्टडीज में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को कांस्टेबल अथवा सुरक्षा गार्ड स्नात्तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को पुलिस उप निरीक्षक एवं स्नात्तकोतर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को अन्य वरिष्ठ पदों के लिए प्राथमिकता मिल सके।

वर्तमान समय में पुलिस विषयों को अकादमिक अनुशासन के रूप में विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयी व्यवस्था मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि के समान स्थापित किये जाने का समय आ गया है। डॉक्टर, इजीनियरिंग आदि सेवाओं में जाने वाले अभ्यर्थी पहले 4–5 वर्ष की औपचारिक डिग्रियां लेते हैं, तब ही सेवा में आते हैं। जबकि पुलिस कार्मिक को सीधे प्रशिक्षण संस्थाओं में पुलिस विषय की जानकारी दी जाती है। पुलिस अध्ययन से सम्बंधित विषयों को अकादमिक अनुशासन के रूप में वैधानिक रूप से विकसित करने के लिए संस्थागत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इन संस्थागत प्रयासों में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पुलिस विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाना उपयोगी एवं प्रासंगिक रहेगा। इस क्रम में भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा 2008 में नेशनल पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने को सैद्धान्तिक सहमति दी गई। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस सम्बंध में एक रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई। इसी अनुक्रम में गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान द्वारा राज्य स्तरीय पुलिस विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी गई है। अब अन्य राज्यों में भी उपयुक्त परिस्थितियों में पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इससे पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं एवं पुलिस विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर पूरक सम्बंध विकसित होंगे। दोनों एक दूसरे के संसाधनों का बेहतर ढ़ंग से रचनात्मक उपयोग कर सकेगें। पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए पुलिस सम्बंधी ज्ञान का बेहतर एवं संस्थागत रूप से प्रसार इसमें अभिरूचि रखने वाले युवाओं एवं जिज्ञासुओं में किया जा सकेगा तथा साथ ही पुलिस संगठन एवं सुरक्षा प्रबंधन सम्बंधी सेवाओं को भी बेहतर लाभ दिया जा सकेगा।

पुलिस प्रशिक्षण के दौरान सभी पुलिस अकादमियों एवं पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में इन्डोर विषयों के अर्न्तगत पुलिस प्रबन्धन, फोरेन्सिक साइंस, आई.पी.सी.,सी.आर.पी.सी, जैसे विषयों को पाठयक्रम में सम्मिलित किया जाता है। इन सभी विषयों का सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है। यदि पुलिस सेवा में आने वाले युवाओं द्वारा इन विषयों का अध्ययन सेवा में आने से पूर्व कर लिया जाता है तो पुलिस प्रशिक्षणार्थियों के रूप में उन्हें पुलिस सम्बंधी 'सैद्धांतिक समझ' विकसित करने में अधिक सुगमता होगी। इससे बेरोजगार युवाओं को पुलिस एवं सुरक्षा सेवाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेगें। पुलिस अध्ययन सम्बंधी अकादमिक पाठ्यक्रमों में पुलिस सेवा में अभिरुचि रखने वाले उत्साही युवा ही मुख्य रूप से सम्मिलित होंगे। इस प्रक्रिया में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पुलिस सेवा के प्रति समर्पित, उत्साही प्रतिबद्ध युवा ही पुलिस बल में सम्मिलित होंगे, जिससे पुलिस बल को और अधिक संगठित, कुशल एवं लोकतांत्रिक बनाया जाना सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना से पुलिस संगठन एवं समाज के विविध वर्ग विशेषरूप से युवा वर्ग लाभान्वित हो सकेंगे।

पुलिस विश्वविद्यालय के माध्यम से पुलिस सम्बंधित विषयों के ज्ञान का प्रसार किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को औपचारिक डिग्री, डिप्लोमा प्रदान किये जायेंगे। पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना से पुलिस एवं सुरक्षा सम्बंधी विषयों का गम्भीर व्यापक एवं शोधपरक अध्ययन किये जा सकने के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्रक्रिया में पुलिस सम्बंधी 'बैस्ट प्रेक्टिसेस', नवीन विचारों का संकलन एवं संचारण कर इससे सम्बंधित उच्चस्तरीय शोध किये जा सकेंगे। इस शोध प्रक्रिया में अनुभवजनित शोध को भी सम्मिलित किया जायेगा। ये विश्वविद्यालय केन्द्र एवं राज्य सरकार को विविध चुनौतियों के सम्बंध में 'थिंक टैंक' के रूप में नीतिगत परामर्श देने का कार्य भी कर सकेंगे। विश्वविद्यालय पुलिस सेवा हेतु प्रतिबद्ध ऐसे युवाओं को बेहत्तर रूप से तैयार करने में सहायता कर सकेगें। पुलिस विषय से सम्बंधित अकादमिक अध्ययन पुलिस सेवा में आने से पूर्व कर लेने से युवा पुलिस अधिकारियों की विषयों से सम्बंधित सैद्धान्तिक समझ बेहतर हो सकेगी क्योंकि पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में पुलिस कार्मिकों को पुलिस सम्बधी विषयों पर सैद्धान्तिक जानकारी दिया जाना यथोचित रूप से सम्भव नहीं हो पाता। इस प्रकार विश्वविद्यालय पुलिस प्रशिक्षण, अकादमिक एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षित किये जाने वाले मानव संसाधनों को अधिक प्रभावशाली एवं सक्षम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे एवं लोकतान्त्रिक समाज में पुलिस एवं पुलिसिंग से सम्बंधित चुनौतियों का सामना करने में सफल भूमिका हो सकेगी।

डॉ. विकास नोटियाल, व्याख्याता

जयपुर हॉफ मैराथन - 2012

पुलिसकर्मियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक श्री हरीश चन्द्र मीना के नेतृत्व में जयपुर हॉफ मैराथन–2012 का आयोजन दिनांक 22.01.2012 को किया गया। इस अवसर पर March for Health, तनाव रहित, स्वस्थ एवं कार्यकुशल पुलिस बल के लिए, बैनर के साथ हजारों पुलिसकर्मी अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग जयपुर पर एकत्रित हुए। इस मैराथन को महानिदेशक पुलिस श्री हरीश चन्द्र मीना द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौड़ में शामिल होने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में महानिदेशक पुलिस के अतिरिक्त श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, श्री जसवंत सम्पत राम, श्री भगवान लाल सोनी, कमिश्नर जयपुर के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय धावक श्री गोपाल सैनी थे। इस दौड़ में पुलिस जवानों एवं अधिकारियों ने बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया। पुलिस हॉफ मैराथन में पुलिस कमिश्नरेट के अतिरिक्त सबसे ज्यादा भाग लेने वालों की संख्या पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों से थी। राजस्थान पुलिस अकादमी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षुओं ने भी मैराथन में भाग लिया। इसके अतिरिक्त पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल बीकानेर, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल झालावाड़, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खैरवाड़ा एवं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ से भी 5–5 प्रशिक्षु इस हॉफ मैराथन में शामिल हुये।

पुलिस में अनियमित दिनचर्या के कारण पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य की तरफ पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते हैं। आधुनिक जीवन शैली में आये खानपान के बदलाव के कारण नव युवकों में भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। नियमित व्यायाम को जीवन में खाने की तरह ही अपरिहार्य मानने से स्वस्थ जीवन की बुनियाद रखी जा सकती है। पुलिस में प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अनियमित दिनचर्या में से ही कुछ समय निकालना चाहिए। भर्ती के दौरान दौड़ते हुए कई जवानों के गिरने से इस प्रतियोगिता की उपादेयता पर ही प्रश्नचिन्ह लगने लगे थे। पुलिस में जवानों की भर्ती के लिए एक घण्टे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूर्ण करनी होती है। प्रायः देखा गया कि अधिकांश अभ्यर्थी निर्धारित समय में अपनी दौड़ पूर्ण नहीं कर पाते थे। अखबारों में दौड़ते हुए बेहोश होने वाले अभ्यर्थियों के समाचार जब सुर्खियाँ बनने लगे तो महानिदेशक पुलिस श्री हरीश चन्द्र मीना ने स्वयं उदयपुर में 57 वर्ष की उम्र में 10 किलोमीटर की दौड़ 54 मिनट में पूर्ण कर पुलिस बेड़े में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को एक उदाहरण पेश किया। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि नियमित व्यायाम किया जाये तो कोई भी व्यक्ति उक्त दौड़ को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर सकता है। पुलिस में आने के पश्चात् पूरे सेवाकाल में स्वस्थ रहना प्रत्येक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ पुलिसकर्मी को देखकर ही आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और सम्मान पैदा हो सकता है। पुलिसकर्मियों में अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षण करने के लिए जयपुर मैराथन 2012 एक उपयुक्त अवसर साबित हुआ।

पुलिस स्टडीज पर स्नातकोत्तर डिग्री

राजस्थान में प्रथम बार वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा पुलिस स्टडीज पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 28.02.2012 को जवाहर कला केन्द्र पर ''प्रमोटिंग पुलिस एण्ड इन्टरनल सिक्योरिटी स्टडीज इन यूनिवर्सिटीज'' विषय पर नेशनल सेमीनार कम वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सेमीनार का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल राजस्थान श्री शिवराज पाटिल द्वारा किया गया। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एम.एल. कुमावत, महानिदेशक पुलिस श्री हरीश चन्द्र मीना, उप कुलपति वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा श्री नरेश दाधीच, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण श्री सुधीर प्रताप सिंह, राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह सहित अनेक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं शिक्षाविद् उपस्थित थे। देश के कुछ प्रान्तों में पुलिस विषय पर स्नातकोत्तर डिग्री शुरू करने की शुरुआत की जा चुकी है। राजस्थान में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा अगस्त 2012 में किये जाने की संभावना है। प्रदेश में पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में पुलिस एवं आंतरिक सुरक्षा पर विस्तृत अध्ययन एवं शोध कार्यों की शुरूआत की जा सके। यह एक शाश्वत सत्य है कि देश की कानून व्यवस्था का प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है। जिन देशों में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है वहां पर आर्थिक विकास की गति भी अत्यधिक धीमी पड़ चुकी है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है तथा यहाँ पर आन्तरिक सुरक्षा के अध्ययन पर किया जाना वाला निवेश देश के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

वर्तमान पुलिस व्यवस्था में कोई भी निर्धारित योग्यता प्राप्त व्यक्ति प्रतियोगिता के माध्यम से पुलिस में नौकरी प्राप्त कर सकता है। पुलिस कार्यों के सम्बन्ध में उसकी जानकारी सेवा में आने से पहले बहुत न्यून होती है। विश्वविद्यालयों में पुलिस पाठ्यक्रम की शुरूआत करने से छात्रों को पुलिस के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इस पाठ्यक्रम का एक फायदा यह भी होगा कि छात्र पाठ्यक्रम में प्रदान की जाने वाली जानकारी स्वैच्छिक एवं अकादमिक रूप से प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में जब कोई व्यक्ति पुलिस में आता है तो उसे इण्डोर कक्षाओं में यह जानकारी प्रदान की जाती है। पुलिस प्रशिक्षण में इण्डोर के साथ आउटडोर पाठ्यक्रम भी पूर्ण करना पड़ता है, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा कड़ा श्रम करवाया जाता है। आउटडोर की शारीरिक थकान का असर उनके अधिगम पर भी पड़ता है। पुलिस वातावरण के बाहर रहकर अध्ययन करने से पुलिस के विषय में विद्यार्थियों के विचार ज्यादा निष्पक्ष, नवाचार पूर्ण एवं शोधपरक होने की संभावना है। विश्वविद्यालयों में पुलिस विषय पर स्नातकोत्तर डिग्री शुरू करने से पुलिस विषयों पर छात्रों द्वारा आने वाले समय में शोध कार्य भी शुरु किये जा सकेंगे, जो न केवल पुलिस विभाग के लिए लाभदायक होंगे अपितु नीति निर्माताओं को महत्त्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करेंगे। पुलिसकर्मियों को भी उक्त पाठ्यक्रम से सेवा में रहते हुए विभिन्न पुलिस विषयों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

एम.ए. प्रीवियस में कुल चार प्रश्नपत्र होंगे तथा एम.ए. फाइनल में चार प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त एक प्रश्नपत्र लघु शोध प्रबन्ध का होगा। निःसंदेह यह एक अच्छी शुरुआत है। इस डिग्री हेतु विभिन्न विषयों पर लिखी गई पाठ्य पुस्तकों से पुलिसकर्मियों को अध्ययन के लिए अच्छी सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। पुलिसकर्मियों एवं प्रशिक्षुओं में पुलिस विषयों पर विचार एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण में वृद्धि होगी। पुलिस कार्य एवं पुलिस प्रशिक्षण में बुद्धिजीवियों की भागीदारी बढ़ेगी जिससे पुलिस के दृष्टिकोण एवं पुलिस के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आयेगा। पुलिस, बृद्धिजीवी एवं समाज में वैचारिक समानता बढ़ेगी। आज पुलिस कार्य में परम्परागत प्रशिक्षण एवं जानकारी पर्याप्त नहीं है। पुलिस के सामने आने वाली नित नई चुनौतियों के अनुरूप हमें अपनी जानकारी एवं दक्षता रखने की आवश्यकता है। राजस्थान पुलिस में पुलिस अध्ययन पर स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर्मियों को पदोन्नति आदि में बोनस अंक दिये जाने पर भी विचार किया जा रहा है। उम्मीद है कि पुलिसकर्मी इस सुविधा का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे।

सेन्ट्रल पुलिस बैण्ड द्वारा कन्सर्ट

राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड द्वारा महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री हरीश चन्द्र मीना एवं अन्य पुलिस के उच्चाधिकारियों एवं उनके परिवारों की उपस्थिति में राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित ऑडिटोरियम में दिनांक 03.03.2012 को प्रथम बार कन्सर्ट प्रस्तुत किया गया। राजस्थान पुलिस का सेन्ट्रल बैण्ड वर्ष 2005 में राजस्थान सशस्त्र बल के विभिन्न बैण्ड कर्मचारियों को मिलाकर बनाया गया था। गठन के पश्चात से सेन्ट्रल बैण्ड निरन्तर राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में अभ्यासरत्त है। बैण्ड की वर्तमान नफरी 41 है, जिसके प्रभारी प्लाटून कमाण्डर पृथ्वीराज है। राजस्थान पुलिस का सैन्ट्रल बैण्ड राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय बैण्ड प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक तक प्राप्त कर चुका है। प्लाटून कमाण्डर पृथ्वीराज सिंह भी सर्वश्रेष्ठ बैण्ड कन्डक्टर का स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुका है।

कन्र्सट के दौरान भारतीय धुनें वन्देमातरम, जय हो, रागयमन एवं पाश्चात्य धुनें मार्च मिलीटेरियन, सीकी अमोलेइको, हगेंरियन डॉन्स, चिट चेट, गार्डन इन इण्डिया एवं अवाइड विद मी प्रस्तुत की गई। उक्त धुनें रिटार्यड लेफ्टीनेन्ट कर्नल श्री विक्टर दुराई स्वामी के निर्देशन में तैयार की गई। कार्यक्रम के दौरान स्वयं श्री विक्टर दुराई स्वामी द्वारा भी कई धुनें प्रस्तुत की गई। श्री पृथ्वीराज प्लाटून कमाण्डर राजस्थान पुलिस सैन्ट्रल बैण्ड द्वारा भी विभिन्न धुनें प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी कुँवर राष्ट्रदीप एवं श्रीमती पूनम चौधरी, उपनिरीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा किया गया। कुँवर राष्ट्रदीप द्वारा विभिन्न धुनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी उल्लेख किया गया।

Editorial Board

Editor in Chief
Bhupendra Singh, IPS, Director

Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Dr. B.L. Meena, IPS, Deputy Director
Deepak Bhargava (AD), Dr. Rameshwar Singh (AD),
Alok Srivastav (AD), Gyan Chandra (AD), Kamal Shekhawat (AD)

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph.: +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : policeresearchrpa@yahoo.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Photographs By Sagar

Printed at : Shiva Offset, Jaipur # 0141-2365721